

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करीली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या :- 100 / 2022

दाखल दिनांक :- 01.08.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 257

सुनवान

स्वरूप बनाम नारायण जाति जोगी निवासी हिंगोट तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करीली राजस्थान

—सायलान-02

बनाम

जोगेन्द्र पुत्र हजारी जाति जोगी निवासी हिंगोट तहसील हिण्डौन जिला करीली।

—गैरसायलान-04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा .

निर्णय

दिनांक :- 26-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 100/2022 स्वरूप बनाम जोगेन्द्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करीली

